



Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

# बिहार राज्य-भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcccl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcccl.bih.nic.in

### कार्यालय आदेश - 30/2019

व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Apprenticeship Act, 1961 (यथा संशोधित 1973 एवं 2014) एवं Apprenticeship Rules 1992 के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के अधीन कार्यरत विभिन्न कार्यलयों में एक वर्षीय प्रशिक्षण देने हेतु निगम द्वारा निर्गत विज्ञापन के आलोक में NATS Portal के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी, की काउन्सेलिंग निगम मुख्यालय में दिनांक-01.03.2019 को एवं 07.03.2019 को सम्पन्न हुआ। उक्त काउन्सेलिंग में रिक्त रह गए पदों को BOPT के परामर्श पर निगम के आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणार्थियों को रखने के लिए हुए निर्णय के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की विवरणी निम्नवत है:-

Sr No.	Name of Candidate	Branch	Degree/ Diploma	Enrolment No.	Category	Category of Selection
1	Sushmita Kumari	Electrical Engineer	Degree	EBRG011160600350	EBC	EBC
2	Ambuj Kumar	Civil Engineer	Degree	EBRG001180700100	OBC	BC
3	Sharik Obaid	Civil Engineer	Degree	EBRG001180600107	GEN	GEN

(i) अप्रेंटिशीप अभ्यर्थियों को Apprenticeship Act, 1961 यथा संशोधित 1973, 1986 एवं 2014 के सेक्शन 22(1) के तहत रखा जाएगा, जिसके तहत अभ्यर्थियों के द्वारा अप्रेंटिशीप अवधि यथा 01 वर्ष समाप्त होने के पश्चात् निगम में नियमित अथवा संविदा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

(ii) अप्रेंटिशीप की अवधि संबंधित कार्यालय में योगदान की तिथि के प्रभाव से अधिकतम 01 वर्ष के लिए होगी।

(iii) अप्रेंटिशीप अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को Stipend की राशि उनके योगदान की तिथि से डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी को ₹ 10,000/- (दस हजार रुपये) प्रतिमाह एवं डिग्रीधारी अभ्यर्थी को ₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) प्रतिमाह भुगतान संबंधित कार्यालय से किया जाएगा। जिसमें डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से क्रमशः राशि 4984 का 50% एवं राशि 3542 का 50% प्रतिपूर्ति उक्त राशि में सम्मिलित है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।

(iv) अप्रेंटिशीप अभ्यर्थियों को अप्रेंटिशीप अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का हानि एवं दुर्घटना होने की स्थिति में निगम जिम्मेवार नहीं होगी।

(v) अप्रेंटिशीप अभ्यर्थियों को योगदान करने हेतु किसी भी प्रकार का T.A/D.A का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(vi) अप्रेंटिशीप अभ्यर्थियों को निगम के नियमित कर्मियों की भाँति अन्य कोई भी सुविधा/भत्ता देय नहीं होगी।

(vii) अप्रेंटिशीप अभ्यर्थियों को आकस्मिक अवकाश एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश के अलावा अन्य कोई भी अवकाश देय नहीं होगा।

(viii) अप्रेंटिशीप अभ्यर्थियों के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप/अनियमितता/दुर्व्यवहार की स्थिति में उनका Apprenticeship Contract समाप्त करने हेतु निगम का निर्णय अंतिम होगा।

(ix) उक्त चयनित अभ्यर्थी पत्र निर्गत की तिथि से 05 दिनों के अन्दर संबंधित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

ह0/-


महाप्रबंधक (प्रशासन)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,  
पटना।

ज्ञापांक- BBCCCL-97/2019-1014

दिनांक- 05/3/19

प्रतिलिपी- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

  
महाप्रबंधक (प्रशासन)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,  
पटना।